सहकारिता के सिद्धांत

Arvind Kumar Sharma

(Faculty Member)

सहकारिता के सिद्धांत

सहकारिता के सिद्धांत वे दिशानिर्देश हैं जिनसे सहकारिताएं अपने नीतियों व कार्यों को मूर्तरूप देती हैं।

सहकारिता के सिद्धांत

1. • स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता
2. • लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों का नियंत्रण
3. • सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता
4. • स्वायत्ता तथा स्वतंत्रता
5. • शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सूचना
6. • सहकारिताओं में सहयोग
7. • स्वायत्ता तथा स्वतंत्रता

पहला सिद्धांत : स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता

सहकारी संस्थाएं स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो सेवाओं को उपयोग करने तथा लिंग, सामाजिक, जाति, राजनैतिक अथवा धार्मिक भेदभाव किए बिना सदस्यता के प्रति दायित्वों को स्वीकार करने में सक्षम सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती हैं ।

दूसरा सिद्धांत : लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों का नियंत्रण

सहकारिताएं ऐसे लोकतांत्रिक संगठन होते हैं जिन पर उनके सदस्यों का नियंत्रण होता है जो नीतियां बनाने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चयनित प्रतिनिधि के रूप में महिलाएं और पुरूष सदस्यता के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में सदस्यों को वोट देने का भी अधिकार दिया जाता है (एक सदस्य एक वोट) तथा अन्य स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से सहकारिताओं का गठन किया जाता है।

तीसरा सिद्धांत : सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता

सदस्य समान रूप से आर्थिक योगदान देते हैं तथा अपनी सहकारिताओं की पूंजी को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करते हैं। कम से कम उस पूंजी का कुछ भाग सहकारी सस्थाओं की सामान्य संपत्ति होती है। सदस्यता की शर्त के अनुसार सदस्यों द्वारा दी गई पूंजी पर सीमित क्षतिपूर्ति ही दी जाती है। सदस्य निम्नलिखित में से किसी एक या सभी प्रयोजनों के लिए अधिशेष आबंटित करते हैं: आरक्षिति के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को विकसित करना, जिसका कुछ भाग अविभाज्य होता है जिससे सदस्यों को सहकारी संस्थाओं में उनकी लेनदेन के समानुपात में लाभ दिया जाता है तथा सदस्यता के तहत स्वीकृत अन्य गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

चौथा सिद्धांत : स्वायत्ता तथा स्वतंत्रता

सहकारी संस्थाएं स्वायत्त तथा स्वयं सहायता संगठन होते हैं जिन्हें इनके सदस्यों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। यदि वे सरकारी संगठनों सहित अन्य संगठनों के साथ समझौते करते हैं अथवा बाह्य स्रोतों से पूंजी सृजन करते हैं, तब वे ऐसा उन शर्तों पर कर सकते हैं जो इनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तथा अपनी सहकारी स्वायत्ता भी बनाए रखते हैं।

पांचवा सिद्धांत : शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सूचना’

‘ सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों, चयनित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी-अपनी सहकारी समितियों में प्रभावशाली योगदान दे सकें। वे साधारण जनता – विशेषकर युवाओं तथा परामर्शी नेओं को सहकारिता की प्रकृति एवं फायदों के बारे में सूचित करते हैं।

छटा सिद्धांत : सहकारिताओं में सहयोग

‘

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को सर्वाधिक प्रभावशाली तरीके से सेवा करते हुए अन्य स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संरचनाओं से मिलजुल कर कार्य करते हुए परस्पर सशक्त बनाती हैं।

सातवां सिद्धांत : समुदाय के प्रति सरोकार

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से समुदाय के वहनीय विकास हेतु कार्य करती हैं।

Any Questions Please?

Thanks

Arvind Kumar Sharma
(Faculty Member)